

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वित्तीय वर्ष 2022-2023



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 8-बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.)- 301002



कंपनी के मूल्य

- कंपनी का हित सर्वोपरि
- ईमानदारी
- जिम्मेदारी
- परस्पर सहयोग
- गुणवत्ता
- दूरदर्शिता
- समय की पाबंदी



ध्येय वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्ता युक्त दूध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन वृद्धि और व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए पशु नस्ल सुधार और तकनीक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। कंपनी अपनी सदस्याओं की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्प है।



दीर्घ दृष्टि वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में राजस्थान राज्य की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पंसद होगी और दूध और दूध उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी।

निदेशक मंडल

(31 मार्च 2023 को स्थिति)

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा
2.	श्रीमती रेखा कुमारी	:	निदेशक
3.	श्रीमती सुनीता बाई	:	निदेशक
4.	श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी	:	निदेशक
5.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक
6.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक
7.	श्रीमती कौशल्या	:	निदेशक
8.	श्रीमती सुनीता देवी	:	निदेशक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री सुनील कुमार शर्मा	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट,
दिल्ली
आंतरिक अंकेक्षक
मैसर्स अन्स्टर्ट एंड यंग एलएलपी,
गुरुग्राम, हरियाणा

कंपनी सचिव
श्री सौरभ जैन

वित्त प्रवन्धक
श्री गौरव खंडेलवाल

बैंकर्स
बैंक ऑफ़ बड़ोदा, अलवर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर,
एक्सिस बैंक, अलवर, आईडीबीआई बैंक, अलवर, पीएनबी बैंक, अलवर

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आर.टी.ए.)
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगौर, एलएससी के पीछे
दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062

पंजीकृत कार्यालय
पंजीकृत कार्यालय: प्लाट स.-8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर -301002
कोर्पोरेट पहचान संख्या: U01122RJ2016PTC049648
टेलीफोन 0144-2330332
इ मेल: alwar.mpc@gmail.com बेबसाईट: www.sakhimilk.com

अनुक्रमणिका

क्रम स.	विवरण	पेज
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	1-12
2.	अंकेक्षको की रिपोर्ट एवं उनके अनुलग्नक	13-26
3.	वित्तीय खाते एवं उनके नोट्स	27-51
4.	आठवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस एवं सम्बंधित अनुलग्नक	52-61
5.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट	62
6.	प्रतिनिधि फॉर्म	63-64
7.	प्राप्ति रसीद	65
8.	उपस्थिति पर्ची	66

नोट:- हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे ।

निदेशकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए:-

निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ आठवीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्यों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

वित्तीय परिणाम:-

संक्षिप्त में वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)
संचालन से राजस्व	34,533	24,101
अन्य आय	119	69
कुल राजस्व	34,652	24,170
कुल खर्च	34,257	23,836
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	395	334
कर के लिए प्रावधान	101	81
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	294	252

कम्पनी के संचालन का विवरण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 24101 लाख से बढ़कर 34533 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 43.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रुपये 23,836 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रुपये 34,257 लाख रहे हैं। कर पश्चात लाभ 294 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 252 लाख था।

सीमित लाभांश:-

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने आठ रूपये प्रति समता अंश की दर से 801486 समता अंशों पर कुल रूपये 64,11,888 (चौसठ लाख ग्यारह हजार आठ सौ अठासी रूपये) लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2023 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण:-

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 2,29,46,706 /- (दो करोड़ उनतीस लाख छियालीस हजार सात सौ छः रूपये) की राशि को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बैलेन्स-शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन की समीक्षा:-

दुग्ध संकलन

कम्पनी दुग्ध संकलन का संचालन छः एमसीसी के माध्यम से अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चुरू जिले के 814 गाँवों में कर रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 6,18,92,938 लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजस्थान के भरतपुर जिले में मिलक वेंडिंग मशीन के माध्यम से सम्पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के साथ शुद्ध दूध की सप्लाई सीधे उनके द्वार स्तर पर शुरू की है। इसी के साथ कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने उत्पादों की बिक्री हरियाणा एवं पंजाब राज्य में शुरू कर दी।

दीपावली के अवसर पर कंपनी ने अपने उत्पादों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए एक किलो पैकिंग में रसगुल्ला को "सखी रसगुल्ला" के नाम से लॉन्च किया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित आईडीएफ-डब्ल्यूडीएस में अपनी उत्पाद श्रेणी में एक लीटर पैकिंग में सखी गाय का घी लॉन्च किया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने एनडीडीबी के मार्गदर्शन में सांथिया फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक चारा उत्पादक कंपनी बनाई और सखी एमएमपीसीएल इस चारा उत्पादक कंपनी के लिए सीबीबीओ के रूप में काम कर रही है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 36,125 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सदस्यता में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार सदस्यों ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास

दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक पहुँच जायेगा। सदस्याओं को कम्पनी में नियमित दुग्ध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने अपनी सदस्याओं को एक करोड़ पिचासी लाख लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपनी सदस्याओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाएँ:-

आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP):-

कम्पनी के संचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी भोजन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आहार संतुलन कार्यक्रम के तहत 15,952 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ:-

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 2,6761 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 46 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर:-

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 302 बाँझपन उपचार शिविरों में 5,756 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 2,640 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 5,076 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT):-

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 16,412 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 3,011 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

पशु आहार:-

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2932 मैट्रिक टन की पशु आहार का विक्रय किया ।

खनिज मिश्रण:-

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मैट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया।

गुणवत्तापूर्ण पहल:-

सभी मिलक चिलिंग सेंटर (एमसीसी) जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हैं। एफएसएसएआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर नई मिलावट परीक्षण और एंटीबायोटिक परीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। कम्पनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के

लिए 52 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1196 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ।

उत्पादक संस्था विकास:-

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूत करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत:-

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल महिला सदस्याओं के साथ प्रतिबंधित किया गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग अंश पूंजी में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यावसायिक संचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:-

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे -

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	निदेशक मण्डल के लिए व्यवसाय और शासन रणनीति कार्यशाला	1	6
2	स्टाफ के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	3	72
3	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	52	1196
4	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	754	19604
5	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	2	54
6	ग्रामीण स्कूली बच्चों का जागरूकता कार्यक्रम	5	208
7	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (वीसीजी)	142	3550
8	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (एमआरजी)	59	708

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:-

वर्ष के दौरान, निदेशकों को डेयरी व्यवसाय और दूध उत्पादक कंपनी के बारे में बेहतर परिप्रेक्ष्य देने के लिए गुजरात राज्य के राजकोट में "माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड" में एक शैक्षिक यात्रा की व्यवस्था की गई।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित आईडीएफ-डब्ल्यूडीएस सम्मेलन में भाग लिया, जहां कंपनी ने अपने उत्पादों श्रेणी में एक लीटर पैकिंग में सखी गाय का घी लॉन्च किया।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन:-

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कम्पनी की स्थिति और इसके भविष्य का संचालन प्रभावित हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरण:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में रखे गए लाभांश उनके हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अदावाकृत या असंदत रहते हैं, कंपनी ऐसे बकाया लाभांश को किसी भी अर्जित ब्याज के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। धारा 125(1) के तहत स्थापित आईईपीएफ, अदावाकृत लाभांश के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

चूँकि कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को पूर्ण लाभांश का भुगतान कर दिया है और कंपनी में कोई अवैतनिक लाभांश नहीं है, इसलिए कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए अवैतनिक लाभांश खाते में कोई भी राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

अंश पूंजी और सदस्यता:-

31 मार्च, 2023 तक, प्रदत्त समता अंश पूंजी 801.486 लाख रुपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सौ रुपये के 8,01,486 समता अंश और 36,125 सदस्या शामिल थी। 31 मार्च, 2023 के बाद, कम्पनी ने 2,413 नए और विद्यमान सदस्याओं को नामांकित किया जिन्हें 38.651 लाख रुपये की अंश पूंजी आवंटित की है। और इस प्रकार इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्याओं की कुल संख्या 38,538 है और जिनकी अंश पूंजी 840.137 लाख रुपये है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल:-

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में, श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी (डीआईएन 08961620) और श्रीमती सुनीता देवी (डीआईएन 08661962) आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अपात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं किया। परिणामी रिक्तियों को श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (क्लास ए का प्रतिनिधित्व) और श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (क्लास ए का प्रतिनिधित्व) को नियुक्त करके भरा जा सकता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री सुनील कुमार शर्मा का कार्यकाल दिनांक 15 अगस्त, 2023 को पूरा हो गया और श्री ब्रजेश नारायण सिंह (डीआईएन नंबर 08019957) को 16 अगस्त, 2023 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण:-

जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक है। कम्पनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि -

(क) वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2023 तक कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(ग) कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

अंकेक्षक:-

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली को कंपनी की अपनी छठी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण:-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही एवं उचित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है।

मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी (इवाई) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

मानव संसाधन:-

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी:-

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने संगठन में एकीकृत योजना को सक्षम करने के लिए दैनिक दूध खरीद, सदस्यता प्रबंधन, शेयरहोल्डिंग विवरण आदि जैसे बड़ी मात्रा में डेटा के प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लागत प्रभावी एकीकृत ईआरपी (ERP) सॉफ्टवेयर लागू किया है।

कर्मचारियों का विवरण:-

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के साथ पठित और अध्याय XXIA का विवरण इस प्रकार है:

अ. कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विदेशी विनिमय आय - शून्य

विदेशी विनिमय निकासी - शून्य

बैठकें:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की सात (7) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 17.05.2022, 19.07.2022, 17.09.2022, 11.11.2022, 31.12.2022, 06.02.2023 और 28.03.2023 को आयोजित की गईं।

सचिवीय मानक:-

हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रासंगिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करती है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:-

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:-

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ निष्पादित सभी अनुबंध, व्यवस्थाएं और लेनदेन व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आयोजित किए गए थे और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आर्म्स लेन्थ सिद्धांतों पर आधारित थे। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट नंबर 37 पर दिखाई देता है |

वार्षिक विवरण का सार:-

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन में, 31 मार्च 2023 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न है। कम्पनी का वार्षिक विवरण कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट www.sakhimilk.com पर उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेशों का विवरण:-

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नियामकों, अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो कंपनी की चालू स्थिति या उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

जोखिम प्रबन्धन नीति:-

मैसर्स अन्स्ट एंड यंग एलएलपी (इवाई) आन्तरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। हमारी कम्पनी के पास किसी भी जोखिम जिससे कम्पनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है की पहचान करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

जमा:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण:-

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड:-

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्पष्टीकरण:-

कंपनी की एक नीति है जो महिला कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जो भेदभाव से रहित हो और किसी भी प्रकार के यौन शोषण के प्रति बिल्कुल असहिष्णु हो। यह नीति कम्पनी के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) और उसके अनुपालन में आन्तरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं निर्धारित शर्तों का पालन करती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनी की सामाजिक जिम्मेदारी:-

कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016:-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या न ही कोई कार्यवाही लम्बित थी।

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म):-

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

आभार:-

कम्पनी का निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान अपनी सदस्याओं, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं था।

वास्ते निदेशक मण्डल

पिंकी शर्मा

अध्यक्षा

डीआईएन 09312032

दिनांक - 28.08.2023

स्थान - अलवर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक की बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण समाप्त हो गया है, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के मामलों की स्थिति के अनुरूप है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और उसका नकदी प्रवाह।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशक की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है। लेखापरीक्षा का या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है।

- जब हम निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 'अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के तहत आवश्यक शासन के आरोप में मामले को संप्रेषित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन और नकदी प्रवाह। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें

हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

इ) 31 मार्च, 2023 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तें।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है,

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य में निवेश करेगा कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।
(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी" द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

V. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 29 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर 16 सितंबर से लागू है। 1 अप्रैल, 2023 और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश/सीएआरओ 2020") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक बी" में एक विवरण देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक C" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730एन)

व्योम हवेलिया

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 517925)

(UDIN: 23517925BGVTZT2637)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त, 2023

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का

आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च, 2023, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए

आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730एन)

व्योम हवेलिया
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 517925)
(UDIN: 23517925BGVTZT2637)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त, 2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) इसके संयंत्र, संपत्ति और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

(ए)। (ए) कंपनी ने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी। सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

सी। कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी। कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

इ। बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) ए. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष के अंत के बाद प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ग के मालसूची के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जब खाते की किताबों की तुलना में, लागू होने वाली सूची / वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर ध्यान दिया गया।

बी। कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए खंड 3 (iiबी) के तहत रिपोर्टिंग की गई है।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और इसलिए रिपोर्टिंग आदेश के खंड (iii) के तहत लागू नहीं है।

(iv) कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश और गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, CARO 2016 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

ए)। कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए किसी भी दायित्व को जन्म नहीं दिया।

बी) 31 मार्च, 2023 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जिस तारीख से वे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं। देय हो गया।

सी) उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे 31 मार्च, 2023 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) ए. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

बी। कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं हैं और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी। कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

इ। वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड (ix)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) ए। कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) ए. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

बी। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास।

सी। जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टियों लेनदेन के विवरण के लिए। लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है।

(xiv) ए. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी। हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 तक की अवधि को कवर करते हुए, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान नहीं हैं। लागू।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग नहीं है लागू।

(xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। हालांकि, पिछले लेखा परीक्षकों ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है और वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

(xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

(xx) कंपनी के पास तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, धारा 135 के प्रावधान अधिनियम के वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730एन)

व्योम हवेलिया
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 517925)

स्थान: नई दिल्ली

(UDIN: 23517925BGMTZT2637)

दिनांक: 11 अगस्त, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 17 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2023 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730एन)

व्योम हवेलिया
पार्टनर

(सदस्यता संख्या 517925)

(UDIN: 23517925BGVTZT2637)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त, 2023

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2023 को चिदठा

	नोट संख्या	31 मार्च 2023 तक रुपये लाख में	31 मार्च 2022 तक रुपये लाख में
A. समता एवं दायित्व			
1. अंशधारकों का कौष			
(a) शेयर पूंजी	3	801.49	669.01
(b) संचित एवं अधिशेष	4	1,033.52	793.45
		<u>1,835.01</u>	<u>1,462.46</u>
2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		15.86	55.04
3. आस्थगित अनुदान	5	481.74	602.91
4. गैर चालू दायित्व			
(a) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	6	284.93	251.94
(b) दीर्घकालिक प्रावधान	7	29.15	20.24
		<u>314.08</u>	<u>272.18</u>
5. चालू दायित्व			
(a) अल्प कालीन ऋण	8	3,881.82	2,667.83
(b) व्यापार देनदारियां	9		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		2,012.19	1,118.25
(c) अन्य चालू दायित्व	10	307.41	161.45
(d) अल्पकालीन प्रावधान	11	23.33	0.78
		<u>6,224.75</u>	<u>3,948.31</u>
कुल		8,871.45	6,340.89
B. संपत्ति			
1. गैर चालू संपत्तियां			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	12a	730.51	748.93
(ii) अमूर्त संपत्ति	12b	6.89	9.64
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		9.34	32.03
		<u>746.74</u>	<u>790.60</u>
(b) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	13	5.87	3.33
(c) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	24.92	32.02
(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	15	326.11	309.08
		<u>1,103.64</u>	<u>1,135.02</u>
2. वर्तमान संपत्ति			
(a) स्टॉक	16	562.41	407.44
(b) व्यापारिक प्राप्तियां	17	5,274.01	3,502.76
(c) नकद और नकद तुल्य	18	1,821.45	1,213.28
(d) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	19	47.49	56.45
(e) अन्य चालू संपत्तियां	20	62.45	25.95
		<u>7,767.81</u>	<u>5,205.88</u>
कुल		8,871.45	6,340.89

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए
चाटर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

व्योम हवलिया
पार्टनर
सदस्यता सं. 517925

पिकी शर्मा
अध्यक्षा
निदेशक पहचान सं.: 09312032

रेखा कुमारी
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 09678813

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
निदेशक पहचान सं.: 07563916

सौरभ जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45759

गौरव खडेलवाल
वित्त प्रबंधक
सदस्यता सं. 426048

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11-08-2023

स्थान: अलवर
दिनांक: 11-08-2023

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2023 को लाभ हानि का विवरण

	नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
1. संचालन से राजस्व	21	34,532.52	24,101.01
2. अन्य आय	22	119.33	68.92
3. कुल आय (1+2)		34,651.85	24,169.94
(a) व्यापारिक माल का क्रय	23	32,603.32	22,600.21
(b) तैयार मॉल एवं स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन	24	(158.56)	(160.83)
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	25	362.08	335.07
(d) वित्तीय लागत	26	123.97	133.68
(e) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	12	28.10	10.80
(f) अन्य खर्च	27	1,297.90	917.49
कुल खर्च		34,256.81	23,836.42
5. कर पूर्व लाभ (3-4)		395.04	333.52
6. कर खर्च:			
(a) वर्तमान कर		101.00	83.00
(b) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		(2.54)	1.44
(c) पिछले वर्ष के लिए प्रावधान शुद्ध कर खर्च		3.00	(3.34)
		101.45	81.10
7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		293.59	252.42
8. प्रति समता अंश आय:	33		
(नोमिनल मूल्य 100 रुपये प्रति अंश)			
(a) मूल		41.29	48.80
(b) डायल्युटेड		41.28	48.67

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें

उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)
व्योम हर्षलिया
पार्टनर
सदस्यता सं., 517925

पिंकी शर्मा
अध्यक्षा
निदेशक पहचान सं.: 09312032

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

रेखा कुमारी
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 09678813

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
निदेशक पहचान सं.: 07563916

सौरभ जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता सं., 45759

गौरव खंडेलवाल
वित्त प्रबंधक
सदस्यता सं., 426048

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11-08-2023

स्थान: अलवर
दिनांक: 11-08-2023

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
कर पूर्व लाभ	395.04	333.52
समायोजन के लिए:		
वित्त लागत - उधार पर ब्याज व्यय	122.61	132.43
ब्याज आय	(87.17)	(44.64)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28.10	10.80
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री से लाभ/वसूली	(1.08)	(0.43)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	457.49	431.68
कार्यशील पूंजी में आवाजाही के लिए समायोजन:		
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(154.97)	(168.39)
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1,771.25)	(227.40)
अन्य गैर-चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(17.03)	(308.70)
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	8.97	246.01
दीर्घकालिक दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	32.99	57.50
व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)	893.94	277.24
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	9.05	0.05
अन्य चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	132.37	(10.70)
संचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	(408.44)	297.29
शुद्ध आय कर (भुगतान)/वापसी	(74.49)	(110.26)
प्रयुक्त परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	(482.93)	187.03
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है	(649.89)	(650.59)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (शुद्ध प्राप्त पूंजीगत अनुदान)	(80.02)	(234.53)
प्राप्त ब्याज	50.68	27.85
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वसूली/बिक्री से प्राप्त आय	1.51	0.74
प्रयुक्त निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	(677.72)	(856.53)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
शेयर पूंजी जारी करने से आय	77.44	148.99
प्राप्त अंश आवेदन राशि	15.86	55.04
कार्यशील पूंजी उधार में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	1,213.99	409.96
लिमिटेड रिटर्न / लाभांश भुगतान	(53.52)	(36.25)
वित्त लागत का भुगतान	(134.83)	(121.72)
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	1,118.95	456.01
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	(41.71)	(213.49)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	89.79	303.28
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	48.08	89.79
नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:		
बैंकों के साथ शेष राशि:		
चालू खातों में	18.35	86.86
बचत खातों में	29.73	2.93
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	48.08	89.79
जोड़ें: बैंक बैलेंस जोकि नकद और नकद समकक्ष नहीं माना जाता है	1,773.37	1,123.48
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और बैंक बैलेंस (नोट 16)	1,821.45	1,213.28

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

व्योम हवेलिया

पार्टनर

सदस्यता सं. 517925

पिकी शर्मा

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 09312032

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

रेखा कुमारी

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 09678813

धर्मेन्द्र कुमार

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 07563916

गौरव खंडेलवाल

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं. 426048

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11-08-2023

स्थान: अलवर
दिनांक: 11-08-2023

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (कोर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दूध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रजनन, पशु-आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुड़ी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवाएँ प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:

ए लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधान जो लागू हों। एमसीए ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू अनुभागों को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020' के तहत अधिसूचित किया है और साथ ही प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों को "प्रोड्यूसर कंपनी नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है। कंपनी के वित्तीय लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतो के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

बी अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

सी नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

रोकड़ प्रवाह के प्रयोजन से रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंकों के पास मांग जमाये शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जिन्हें कभी भी आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

डी नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, जिससे विशेष मदों से कर पूर्व लाभ/(हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों तथा कोई भी अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या उपार्जित रोकड़ प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

इ राजस्व मान्यता

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, बिक्री को मान्यता दी जाती है, जो कि आम तौर पर ग्राहकों द्वारा माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति के साथ मेल खाता है।

एफ अन्य आय

जमाराशियों पर ब्याज की आय को उपार्जित आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य हास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने हैं), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति उनके अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन हानियों को घटा कर बताई गई है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यहास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागतों का पूंजीकरण करती है जहां यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। तीन साल के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान पर सॉफ्टवेयर का मूल्यहास किया गया है।

एच कैपिटल कार्य - प्रगति पर

संपत्ति जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और ब्याज शामिल हैं।

आई मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति के अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्थापन, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव समर्थन, तकनीकी सलाह के आधार पर मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

मूल्यहास चार्ज करने के लिए माना जाने वाला उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

विवरण	उपयोगी जीवन वर्षों में
फनीचर व फिक्सचर्स	10 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	4 एवं 10 वर्ष
कंप्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
ऑफिस उपकरण	5 वर्ष

मूल्यहास का आंकलन खरीद की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

जे इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं। अप्रचलन और अन्य नुकसान, जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रदान करने के बाद इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। तैयार माल में उपरिव्यय का उचित अनुपात शामिल है।

के अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्यहास राशि योग्य संपत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, तथा उसे संपत्ति के उपयोगी अवधि के आधार पर सुनियोजित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, अर्थात ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशी को कम करते हुए लाभ हानी खाते में दर्शाया जाता है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

एल कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

ए निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में किए जाने वाले योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज लिया जाता है।

बी निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। ग्रेच्युटी को बैलेंस शीट की तारीख में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की संभावना है।

डी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

एम प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्युटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी डायल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम एंटी-डायल्युटेड हैं।

एन आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है। स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर-शोषित-मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुए भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

ओ ऋण लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल हैं। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, जो कि ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से संबंधित अवधि से संबंधित होती है, को उस की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ-हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

पी संपत्ति की अनुपस्थिति

प्रत्येक बेलेन्स शीट की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण

करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबंध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

क्यू खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

आर प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

एस लीज

पट्टे की व्यवस्था जहां जोखिम और पुरस्कार की घटना एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होती है, को परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज रेंट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाभ हानि खाते में पहचाना जाता है।

टी संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

नोट 3: शेयर पूंजी

	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	अंशों की संख्या	राशि लाख रुपये में	अंशों की संख्या	राशि लाख रुपये में
(ए) अधिकृत अंश पूंजी				
समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	1,300,000	1,300.00	1,000,000	1,000.00
(ब) निर्गमित, सब्सक्राइब एवं चुकता अंश पूंजी				
समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	801,486	801.49	669,005	669.01

नीचे (i) से (iv) तक के नोट देखें

नोट्स:

(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

"कंपनी ने केवल एक वर्ग के 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का हकदार है। सदस्य कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
	अंशों की संख्या	राशि लाख रुपये में	अंशों की संख्या	राशि लाख रुपये में
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	669,005	669.01	453,163	453.16
वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	132,481	132.48	215,842	215.84
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	801,486	801.49	669,005	669.01

(iii) कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत (अब कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXI-A) के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद बैंक या बोनस के अलावा किसी अन्य विचार के लिए कोई अन्य शेयर जारी नहीं किया गया है।

(vii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं.	प्रमोटर्स का नाम	1 अप्रैल, 2022 को शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2023 को शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	सुनीता बाई	8.00	-	8.00	0.00	-
2	पिंकी शर्मा	81.00	6.00	87.00	0.01	7.41
3	रेखा कुमारी	11.00	5.00	16.00	0.00	45.45
4	ललिता	33.00	-	33.00	0.00	-
5	हंसा कुमारी	30.00	-	30.00	0.00	-
6	बबिता	92.00	7.00	99.00	0.01	7.61
7	कौशल्या कुमारी	50.00	6.00	56.00	0.01	12.00
8	सुनीता देवी	8.00	-	8.00	0.00	-

	31 मार्च 2023 तक रुपये लाख में	31 मार्च 2022 तक रुपये लाख में
नोट 4: रिजर्व और अधिशेष		
(a) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	739.93	541.03
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	229.47	198.90
अंतिम शेष	<u>969.40</u>	<u>739.93</u>
(b) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	53.52	36.25
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	293.59	252.42
घटाएँ:		
31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (रु.8/- प्रति शेयर)	53.52	-
31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (रु.8/- प्रति शेयर)	-	36.25
जनरल रिजर्व में स्थानांतरित	229.47	198.90
अंतिम शेष	<u>64.12</u>	<u>53.52</u>
	<u>1,033.52</u>	<u>793.45</u>
नोट 5: आस्थगित अनुदान		
प्रारंभिक शेष	602.91	737.88
घटाएँ: पूंजीगत अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट 12 देखें)	120.74	134.66
घटाएँ: संपत्तियों की बिक्री/निपटान का प्रभाव	0.43	0.31
अंतिम शेष	<u>481.74</u>	<u>602.91</u>
नोट 6: अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		
(ए) सहायक एवं अन्य से प्राप्त व्यापारिक सुरक्षा जमा	284.93	251.94
	<u>284.93</u>	<u>251.94</u>
नोट 7: दीर्घकालिक प्रावधान		
(ए) कर्मचारी लाभ के प्रावधान	<u>29.15</u>	<u>20.24</u>
(II) लीव एन्केशमेन्ट के लिए प्रावधान	<u>29.15</u>	<u>20.24</u>

31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
रुपये लाख में	रुपये लाख में

नोट 8: अल्पकालीन ऋण

बैंकों से:

(ए) सुरक्षित ऋण (नीचे नोट (i) देखें)		
(i) कार्यशील पूंजी ऋण (मांग पर चुकाने योग्य)	0.00	0.00
(बी) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल छूट की सुविधा	3,881.82	2,667.83
	3,881.82	2,667.83

नोट:

- (i) आईडीबीआई बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण बैंक ओवरड्राफ्ट की प्रकृति में है और बैंक के साथ कंपनी की सावधि जमा के खिलाफ सुरक्षित है (नोट 15 देखें)

नोट 9: व्यापार देय

(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 38 देखें)	-	-
(बी) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	2,012.19	1,118.25
	2,012.19	1,118.25

नोट:

- (i) *प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (एमएसएमईडी अधिनियम) में पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नहीं है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।
- (ii) व्यापार देय ऐजिंग की अनुसूची:

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
		अन विल्ट इयूज	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
(i)	एमएसएमई						
	31 मार्च 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य						
	31 मार्च 2023 को	9.97	2,002.22	-	-	-	2,012.19
	31 मार्च 2022 को	4.94	1,113.31	-	-	-	1,118.25
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई						
	31 मार्च 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य						
	31 मार्च 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-

नोट 10: अन्य चालू देनदारियां

(ए) सदस्याओं द्वारा शेयरों के समर्पण के बदले देय*	71.09	-
(बी) ब्याज उपाजित लेकिन ऋण पर देय नहीं	16.05	28.26
(सी) सांविधिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, स्रोत पर कर कटौती आदि)	23.71	10.55
(डी) ग्राहकों से अग्रिम	59.34	12.55
(इ) कर्मचारियों को देय	49.47	48.14
(एफ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर देय	87.75	61.95
	307.41	161.45

नोट:

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZD के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कुछ सदस्याओं को अपने इक्विटी शेयरों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसी सदस्या अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी की सदस्या होने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने में विफल रही है तदनुसार 71087 शेयर (पिछले साल शून्य शेयर) को कंपनी को 100/- रुपये के सममूल्य पर आत्मसमर्पित कर दिया गया है और इन शेयरों को अन्य पात्र सक्रिय सदस्याओं को सममूल्य पर फिर से जारी किया गया है।

नोट 11: अल्पकालीन प्रावधान

(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) आयकर के लिए प्रावधान (कर भगतन का शर्द्ध)	22.41	-
(ii) लीव एन्केशमेंट का प्रावधान	0.91	0.78
	23.33	0.78

नोट 1.2: संपत्ति, संघ, उपकरण और अमूर्त संपत्ति

विवरण	सकल ह्रास				संचित मूल्यांकन/परिशोधन				(रुपये लाख में)	
	01 अप्रैल 2022 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटारे पर हटा दिया गया	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(ए) संपत्ति संघ एवं उपकरण (स्वामित्व वाले)										
संघ और उपकरण (पिछले वर्ष)	1,034.05 (892.19)	123.71 (142.44)	1.03 (0.58)	1,156.74 (1,034.05)	334.22 (211.80)	130.45 (122.70)	0.60 (0.27)	464.07 (334.22)	692.66 (699.83)	699.83
फ़िलियर व फ़िक्सचर (पिछले वर्ष)	37.90 (37.90)	0.16 (-)	- (-)	38.06 (37.90)	7.65 (3.55)	4.14 (4.10)	- (-)	11.79 (7.65)	26.28 (30.25)	30.25
ऑफिस उपकरण (पिछले वर्ष)	13.96 (13.45)	0.33 (0.50)	- (-)	14.29 (13.96)	6.01 (2.10)	2.85 (3.91)	- (-)	8.86 (6.01)	5.43 (7.94)	7.94
कम्प्यूटर्स (पिछले वर्ष)	43.05 (43.05)	1.24 (-)	- (-)	44.29 (43.05)	32.14 (22.65)	6.00 (9.50)	- (-)	38.14 (32.14)	6.15 (10.90)	10.90
योग (अ)	1,128.96 (986.59)	125.44 (142.95)	1.03 (0.58)	1,253.38 (1,128.96)	380.03 (240.10)	143.43 (140.21)	0.60 (0.27)	522.87 (380.03)	730.51 (748.93)	748.93
(ब) अमूर्त संपत्तियां (स्वयं उत्पादन के आलावा)										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	17.63 (14.24)	2.66 (3.39)	- (-)	20.28 (17.63)	7.99 (2.74)	5.40 (5.25)	- (-)	13.39 (7.99)	6.89 (9.64)	9.64
योग (ब)	17.63 (14.24)	2.66 (3.39)	- (-)	20.28 (17.63)	7.99 (2.74)	5.40 (5.25)	- (-)	13.39 (7.99)	6.89 (9.64)	9.64

नोट्स

(i) मूल्यांकन एवं परिशोधन व्यय

31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
समान्य वर्ष	समान्य वर्ष
रुपये लाख में	रुपये लाख में
143.43	140.21
5.40	5.25
120.74	134.66
28.10	10.90

मूर्त संपत्तिया
अमूर्त संपत्तिया
घटाए: अनुदान पर अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपरोक्त अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (टिप्पणी 34 देखें):

संपत्ति	सकल ब्लॉक		संचित मूल्यांकन / परिवोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	01 अप्रैल 2022 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटान पर हटा दिया गया	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मूर्त संपत्तियां संयुक्त और उपकरण (पिछले वर्ष)	885.53 (886.11)	-	-	884.51 (885.53)	328.18 (210.77)	108.63 (117.68)	0.60 (0.27)	436.21 (328.18)	448.29 (557.35)
ऑफिस उपकरण (पिछले वर्ष)	12.11 (12.11)	-	-	12.11 (12.11)	5.65 (2.04)	2.44 (3.61)	-	8.09 (5.65)	4.03 (6.46)
फर्निचर व फिक्सचर (पिछले वर्ष)	37.35 (37.35)	-	-	37.35 (37.35)	7.53 (3.48)	4.05 (4.04)	-	11.57 (7.53)	25.77 (29.82)
कंप्यूटर (पिछले वर्ष)	32.12 (32.12)	-	-	32.12 (32.12)	26.98 (20.94)	2.59 (6.04)	-	29.57 (26.98)	2.55 (5.14)
अमूर्त संपत्तियां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	10.04 (10.04)	-	-	10.04 (10.04)	5.90 (2.60)	3.04 (3.29)	-	8.93 (5.90)	1.10 (4.14)
कुल (पिछले वर्ष)	977.14 (977.72)	-	1.03 (0.58)	976.12 (977.14)	374.23 (239.84)	120.74 (134.66)	0.60 (0.27)	494.37 (374.23)	481.74 (602.91)

(iii) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस

विवरण	निम्न अंशों के लिए पंजीगत कार्य-प्रगति की संधि (रुपये लाख में)			
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक
परियोजनाएं वर्क इन प्रोग्रेस (पिछले वर्ष)	9.34 (32.03)	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
कुल CWIP (पिछले वर्ष)	9.34 (32.03)	-	-	9.34 (32.03)

	<u>31 मार्च 2023 तक</u> रुपये लाख में	<u>31 मार्च 2022 तक</u> रुपये लाख में
नोट 13: आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व) (शुद्ध)		
(i) आस्थगित कर दायित्वों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	3.78	1.96
(ii) आस्थगित कर संपत्ति बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) मुआवजे की अनुपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान	9.65	5.29
शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	<u>5.87</u>	<u>3.33</u>
नोट 14: दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(अ) आयकर भुगतान (शुद्ध प्रावधान)	24.92	32.02
	<u>24.92</u>	<u>32.02</u>
नोट 15: अन्य गैर-चालू संपत्तियां		
(अ) जमा खाते में बैंक के साथ शेष राशि	300.00	300.00
(बी) उपरोक्त पर अर्जित व्याज	25.70	8.67
(सी) सुरक्षा जमा	0.41	0.41
	<u>326.11</u>	<u>309.08</u>
नोट 16: इन्वेंटरी (कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)		
(ए) बिक्री के लिए माल	412.82	335.57
(बी) स्टॉक-इन-ट्रेड (इन ट्रांजिट)	145.62	64.31
(सी) उपभोग्य	3.97	7.56
	<u>562.41</u>	<u>407.44</u>
नोट 17: व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित, उचित माने गए)		
ए) भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया - सुरक्षित, उचित माना गया	2.10	-
(बी) अन्य	5,271.91	3,502.76
	<u>5,274.01</u>	<u>3,502.76</u>

(ii) व्यापार देय एजिंग की अनुसूची:

(रुपये लाख में)							
क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
		छ: माह से कम	छ: माह से एक साल	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य - कंसीडर गुड्स						
	31 मार्च, 2023 को	5,271.91	2.10	-	-	-	5,274.01
	31 मार्च, 2022 को	3,502.76	-	-	-	-	3,502.76
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्त्य - संदिग्ध						
	31 मार्च, 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्त्य - कंसीडर गुड्स						
	31 मार्च, 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्त्य - संदिग्ध						
	31 मार्च, 2023 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-

	31 मार्च 2023 तक लाख रुपये में	31 मार्च 2022 तक लाख रुपये में
नोट 18: नकद और नकद समकक्ष		
(अ) नकद और नकदी के समतुल्य		
(i) बैंकों के साथ शेष राशि:		
अ चालू खातों में	18.35	86.86
बी बचत खातों में	29.73	2.93
नकद प्रवाह विवरण के एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	48.08	89.79

(बी) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	1,773.37	1,123.48
	1,821.45	1,213.28

नोट
(i) बैंकों के पास शेष राशि में रुपये 320.18 लाख (पिछले वर्ष 400.72 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।

	31 मार्च 2023 तक रुपये लाख में	31 मार्च 2022 तक रुपये लाख में
नोट 19: अल्पकालीन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(ए) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	0.21	0.82
(बी) ग्रेज्युटी फंड (नेट दायित्व रु.22.51 लाख; पिछले वर्ष 16.64 लाख)	2.38	3.17
(सी) विक्रेताओं को अग्रिम	0.61	2.03
(डी) प्रीपेड खर्च	11.97	7.70
(इ) सहायक प्रोत्साहन वसूली योग्य	9.34	5.58
(एफ) सरकारी अधिकरणों के साथ बकाया	22.98	37.14
	47.49	56.45

नोट 20: अन्य चालू संपत्ति (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(अ) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	62.45	25.95
	62.45	25.95

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में
नोट 21: संचालन से राजस्व		
(अ) उत्पादों की बिक्री		
(i) सकल बिक्री	35,700.65	24,855.15
(ii) घटाए: पुनर्खरीद के लिए तीसरे पक्ष (दूध प्रोसेसर) को बिक्री (नीचे नोट (i) देखें)	1,168.13	754.14
(iii) शुद्ध बिक्री	34,532.52	24,101.01

नोट्स:

- (i) यह दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए तीसरे पक्ष को की गई बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ग्राहकों को बिक्री के लिए उनसे फिर से खरीदा जाता है।

उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं:

(ii) व्यापारित माल		
ए कच्चा दूध	32,951.89	22,395.98
बी घी	740.95	562.82
सी पशु आहार एवं अन्य	839.69	1,142.22
कुल	34,532.52	24,101.01

नोट 22: अन्य आय

(ए) ब्याज की आय		
(i) बैंकों में जमा पर	87.17	44.64
(बी) अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) सदस्यता शुल्क	4.53	4.26
(ii) दंड आय	18.88	14.06
(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	1.08	0.43
(iv) देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	1.74	-
(iv) विविध आय	5.94	5.53
	119.33	68.92

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
नोट 23: व्यापारिक वस्तुओं की खरीद		
(ए) कच्चा दूध	29,288.81	19,291.81
(बी) घी	683.02	676.92
(सी) पशु आहार एवं अन्य	767.96	1,045.16
(डी) परिचालन व्यय (नीचे नोट देखें)	1,863.53	1,586.32
	32,603.32	22,600.21
परिचालन व्यय में शामिल हैं:		
(ए) भाड़ा आवक शुल्क	809.93	689.09
(बी) सहायक को प्रोत्साहन	536.00	468.20
(सी) दूध ठंडा करने का शुल्क	333.71	264.26
(डी) सदस्याओं को प्रोत्साहन	179.84	160.41
(इ) अन्य परिचालन व्यय	4.05	4.36
	1,863.53	1,586.32
नोट 24: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन तैयार माल की इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि) और बिक्री के लिए माल		
(अ) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
बिक्री के लिए माल	335.57	193.14
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	64.31	45.91
	399.88	239.05
बी) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		
बिक्री के लिए माल	412.82	335.57
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	145.62	64.31
	558.44	399.88
इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	(158.56)	(160.83)
नोट 25: कर्मचारी लाभ व्यय		
ए) वेतन और मजदूरी	330.21	298.19
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	25.82	28.77
(सी) कर्मचारी कल्याण खर्च	6.05	8.12
	362.08	335.07

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में
नोट 26: वित्त लागत		
(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	122.61	132.43
(बी) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	1.36	1.25
	123.97	133.68

नोट 27: अन्य खर्च

(अ) स्टोर और पुर्जा की खपत	35.34	21.36
(बी) शक्ति और ईंधन	1.83	1.59
(सी) किराया	9.78	11.30
(डी) छपाई और लेखन सामग्री	19.41	9.17
(इ) मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	65.30	68.56
(एफ) मरम्मत और रखरखाव - अन्य	4.21	5.85
(जी) विज्ञापन और व्यापार प्रचार	62.05	27.56
(एच) माल दुलाई, अग्रेषण और वितरण खर्च	794.88	608.23
(आई) बीमा शुल्क	7.14	5.46
(जे) कानूनी और पेशेवर शुल्क	114.71	12.55
(के) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	2.32	2.01
(एल) यात्रा और परिवहन	55.88	49.85
(एम) प्रशिक्षण खर्च	30.57	20.76
(एन) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं (पीईएस) से संबंधित व्यय	28.89	25.21
(ओ) संचार खर्च	25.66	27.79
(पी) दरें और कर	3.07	0.24
(क्यू) बैठक और अभिविन्यास खर्च	23.24	10.51
(आर) विविध व्यय	13.62	9.51
	1,297.90	917.49

नोट:

(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.65	1.50
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.32	0.20
(सी) उपर्युक्त पर कर	0.35	0.31
	2.32	2.01

नोट 28: आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

अ आकस्मिक दायित्व

(अ) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया
31 मार्च, 2023 तक कोई बकाया आकस्मिक दायित्व नहीं है

(बी) प्रतिबद्धताओं

पूजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का नेट शून्य)

नोट 29

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2023 में रुपये 64.12 लाख (8 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

नोट 30

कंपनी को इक्विटी शेयरों के लिए 15.86 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि प्राप्त हुई है। जिसके खिलाफ 1 मई, 2023 को हुई बोर्ड की बैठक में आवंटन किया गया है।

नोट 31: कर्मचारी लाभ योजनाएँ:

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPF) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निदिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में रु.9.87 लाख (पिछले वर्ष रु.9.02 लाख) भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान के लिए रिकगनाइज किये हैं।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजनाओं की पेशकश करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित हैं। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित फंड में योगदान करती है। प्रतिबद्धताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक रूप से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएं वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी और राशि के संबंध में निर्धारित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति को निर्धारित करती हैं।

(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च 2023 तक लाख रुपये में	31 मार्च 2022 तक लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16.64	11.55
ब्याज लागत	1.23	0.81
चालू सेवा लागत	5.81	5.16
भुगतान किया गया लाभ	(1.10)	(1.39)
बीमांकिक दायित्व पर (लाभ)/ हानि	(0.06)	0.50
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	22.51	16.64

(ii) योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य

	31 मार्च 2023 तक लाख रुपये में	31 मार्च 2022 तक लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	19.81	6.64
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1.60	0.90
योगदान	3.63	12.59
भुगतान किया गया लाभ	-	-
योजनागत संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.15)	(0.32)
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	24.90	19.81

(iii) योजना संपत्तियों पर प्रतिफल

योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ
बीमांकिक लाभ/(हानि)
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न

31 मार्च 2023 तक

लाख रुपये में
1.60
(0.15)
1.45

31 मार्च 2022 तक

लाख रुपये में
0.90
(0.32)
0.58

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य
योजना संपत्ति का उचित मूल्य
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)

31 मार्च 2023 तक

लाख रुपये में
22.51
24.90
(2.38)

31 मार्च 2022 तक

लाख रुपये में
16.64
19.81
(3.17)

(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

चालू सेवा लागत
ब्याज लागत
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

31 मार्च 2023 तक

लाख रुपये में
5.81
1.23
(1.60)
0.08
5.52

31 मार्च 2022 तक

लाख रुपये में
5.16
0.81
(0.90)
0.82
5.89

(vi) बैलेंस शीट रिंकंसिलेसन

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)
उपर्युक्त के रूप में खर्च
योगदान / लाभ का भुगतान
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)

31 मार्च 2023 तक

लाख रुपये में
(3.17)
5.52
(4.73)
(2.38)

31 मार्च 2022 तक

लाख रुपये में
4.91
5.89
(1.39)
9.42

कंपनी की नियोजित संपत्ति का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अपनी ग्रेच्युटी योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेच्युटी फंड के लिए अपने निवेश पैटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है, जो यदि परिवर्तित हो जाती हैं, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, वित्त पोषण आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

(vii) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

छूट की दर
अपेक्षित वेतन वृद्धि
आकषक मूल्य:
30 वर्ष से कम आयु 31-44 वर्ष आयु 44 और उससे अधिक मृत्यु दर तालिका का इस्तेमाल किया

31 मार्च 2023 तक

7.40%
7.00% p.a.
3%
2%
1%
IAL (2012-14) ultimate

31 मार्च 2022 तक

7.00% p.a.
10.00% p.a.
3%
2%
1%
IAL (2012-14) ultimate

योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर कई कारकों जैसे कि योजनागत संपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जैसा कि दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख में है।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।

(viii) क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान

मुआवजे की असंबद्ध अनुपस्थिति के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणाएं उपरोक्त vii के समान हैं।

(ix) अनुभव समायोजन

	31.03.2023 लाख रुपये में	31.03.2022 लाख रुपये में	31.03.2021 लाख रुपये में	31.03.2020 लाख रुपये में	31.03.2019 लाख रुपये में
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	22.51	16.64	11.55	6.64	3.25
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	24.90	19.81	6.64	6.64	-
वित्त पोषण की स्थिति	(2.38)	(3.17)	4.91	-	3.25
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	0.06	(0.50)	(0.84)	-	(0.21)
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	(0.15)	(0.32)	-	-	-

नोट 32: पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने कार्यालय परिसर के लिए पट्टे की व्यवस्था की है। कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में 9.78 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 11.30 लाख) के पट्टे के किराये के खर्च को मान्यता दी है।

भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 तक लाख रुपये में	31 मार्च 2022 तक लाख रुपये में
एक वर्ष से अधिक देय नहीं	-	-
एक वर्ष के बाद में देय लेकिन पांच साल से अधिक नहीं	-	-
पांच साल के बाद में देय	-	-
	-	-

नोट 33: प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
कर के बाद शुद्ध लाभ	लाख रुपये में	293.59	252.42
बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या			
वर्ष के दौरान	नंबर लाख में	7.11	5.17
प्रति इक्विटी शेयरों का नॉमिनल वेल्यु	रुपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपये	41.29	48.80
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर	नंबर लाख में	7.11	5.19
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर	रुपये	41.28	48.67

नोट 34: डेयरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन (DHANII) से प्राप्त / प्राप्त करने योग्य अनुदान और इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है - लेखा नीति संख्या 2 (के) देखें:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(अ) प्रारंभिक शेष	-	(283.90)
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त (अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज सहित)	-	283.90
(सी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए	-	-
(i) राजस्व व्यय के लिए*	-	-
कुल उपयोग (i) + (ii)	-	-
(d) अग्रणीत शेष राशि (ए+बी-सी)	-	-

नोट:

पूंजीगत संपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्यय के साथ नेट ऑफ कर दिया गया है (नोट 2k देखें)।

नोट 35: अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण
1	चालू अनुपात (समय में)	चालू संपत्ति	चालू दायित्व	1.25	1.32	(5.36)	आवश्यक नहीं
2	ऋण-समता अनुपात (समय में)	कुल ऋण (गैर चालू और चालू)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	2.12	1.82	15.96	आवश्यक नहीं
3	"ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)"	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + माल्यभास और परिशोधन व्यय + व्याज + गैर-नफ़्त परिचालन व्यय + अन्य गैर-नफ़्त समायोजन	ऋण सेवा = व्याज + युवाया गया मूलधन	0.16	0.17	(4.53)	आवश्यक नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	17.81	20.25	(12.07)	आवश्यक नहीं
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	स्टॉक-इन्-हैंड की खरीद + इन्वेंटरी में परिवर्तन	औसत इन्वेंटरी	16.73	17.35	(3.62)	आवश्यक नहीं
6	व्यापार ऋण कवरेज अनुपात (समय में)	शुद्ध उधार बिक्री	औसत व्यापार ऋणियां	1.97	1.78	10.65	आवश्यक नहीं
7	"व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)"	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापार देय	5.21	5.77	(9.71)	आवश्यक नहीं
8	"शुद्ध पूंजी कवरेज अनुपात (समय में)"	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चालू संपत्ति - चालू दायित्व	22.38	19.16	16.77	आवश्यक नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	0.85	1.04	(18.87)	आवश्यक नहीं

क्रम सं.	अनुपात	मीटर	आपक	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक बिन्दाओं के लिए स्पष्टीकरण
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (में %)	व्याज और कर से पहले कमाई	नियोजित पूंजी = मुद्रा नोटवर्थ मूल्य + कुल ऋण + आस्थित कर दायित्व	9.09	11.34	(19.83)	आवश्यक नहीं
11	निवेश पर वापसी (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय आधारित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आवश्यक नहीं

नोट 36: अन्य वैधानिक जानकारी

- 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केरफामी और संबन्धित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अधिम नहीं दिया है, जो मांग पर या बिना पकड़ ज्ञ संभव है।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं थी और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विल्पुल डिफॉल्टरी पर दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) या उसके सच द्वारा विल्पुल डिफॉल्टरी घोषित नहीं किया गया था।
- कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं था।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने विदेशी सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में उच्चतम या ऋण या निवेश नहीं किया है (या तो उधार ली गई धनपति या शेयर प्रीमियम या किसी प्रकार के ऋण से) संस्थाओं ("मध्यस्थ") इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पकड़ाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थियों") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।
- कंपनी के पास कोई शल्क नहीं थी जो अभी तक सांविधिक अवधि के बाद आरंभोरी के साथ पंजीकृत नहीं थी।
- कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई भी ऋण (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से फंडिंग पार्टी ("अंटीपेट बेंचिफिरीज") की ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करने या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

नोट 37: लेखा मानक (एसए) 18 - "संबन्धित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

ए. संबन्धित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति

रिश्ते की प्रकृति	इकाई का नाम	शेयरपू	(रुपये लाख में)
प्रमुख संबंधित कार्यात्मक:	धर्मेश कुमार		
बी. उपरोक्त संबन्धित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा इस प्रकार है:			
विवरण		शेयरपू	
व्यवसायिक पारिस्थितिक			
धर्मेश कुमार		18.82	18.82
		(16.80)	(16.80)

कोटेशन में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं

नोट 38:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण:

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	-	-
(ii) उस पर देय ब्याज लेखा वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है	-	-
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(vi) आगे के वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

नोट 39:

कंपनी दध ,घीअन्य दूध उत्तपादों एवं पशुओं के चारे के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक एस-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

नोट 40:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी संपतियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और वसूली के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र 12 महीने से कम का पता लगाया है। तदनुसार संपतियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

नोट 41:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

पिंकी शर्मा

अध्यक्षा

निदेशक पहचान स.: 09312032

रेखा कुमारी

निदेशक

निदेशक पहचान स.: 09678813

धर्मेन्द्र कुमार

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान स.: 07563916

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

गौरव खंडेलवाल

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं.-426048

स्थान : अलवर

दिनांक: 11-08-2023

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की आठवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 20 सितम्बर 2023 को दोपहर 01:15 बजे द्वारका दास द्रौपदी देवी मेमोरियल ऑडिटोरियम, 373, वसंत विहार, अलवर, राजस्थान पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है:

1. 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2023 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 8,01,486 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 6411888 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्याओं के रजिस्टर में उलिखित हैं।

3. श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी (डीआईएन 08961620) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए |

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी (डीआईएन 08961620) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) की निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

4. श्रीमती सुनीता देवी (डीआईएन 08661962) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए |

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, सुनीता देवी (डीआईएन 08661962) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) की निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।“

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

स्थान: अलवर

दिनांक: 28.08.2023

निदेशक मंडल के आदेश से

धर्मेन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी की सदस्या होना अनिवार्य है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण
आइटम संख्या 3,4

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
श्रीमती पूनम कुमारी	पशुपालन और डेयरी	सेकेंडरी
श्रीमती सुमन देवी	पशुपालन और डेयरी	सीनियर सेकेंडरी

स्थान: अलवर

दिनांक: 28.08.2023

निदेशक मंडल के आदेश से
धर्मन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की सातवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2022 को दोपहर 01:15 बजे, प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 में आयोजित हुयी जिसकी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :-

उपस्थित:

1.	श्रीमती मनजीत कौर	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती सुनीता बाई	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती गीता देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती कौशल्या	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
9.	श्री सुनील कुमार शर्मा	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
11.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

22,914 इक्विटी शेयर रखने वाले 368 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 5,20,097 इक्विटी शेयर रखने वाले 24,458 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। इसप्रकार कुल मिलाकर 24,826 व्यक्ति उपस्थित थे जिनके पास 5,43,011 शेयर थे |

ए. श्रीमती मनजीत कौर ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया |

बी. श्री सौरभ जैन कंपनी सचिव ने बताया कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आवश्यक कोरम मौजूद है |

उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्याओं का रजिस्टर और निदेशकों की अंशधारिता रजिस्टर निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे | फिर अध्यक्ष के आदेशानुसार बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी की सातवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया।

डी. उपस्थित सदस्याओं की सर्वसम्मति सहमति से, सातवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना को पढ़ा हुआ माना गया।

ई. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को सातवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष के निर्देश पर, कंपनी सचिव, श्री सौरभ जैन ने बैठक के एजेंडे की मदों को एक-एक करके उठाया:

1. 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि, खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 श्रीमती अफसरी (फोलियो संख्या: 8665) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 01/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती सरोज देवी (फोलियो नं.: 6553) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।

2.1 श्रीमती तारा (फोलियो संख्या: 1735) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 02/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 6,69,005 समता अंशों पर रु. 53,52,040 (तिरेपन लाख बावन हजार चालीस रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती रामकली (फोलियो नं.: 306) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती मनजीत कौर (डीआईएन 07674902) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं।

3.1 श्रीमती बीना बाई शर्मा (फोलियो संख्या: 4255) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 03/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती मनजीत कौर (डीआईएन 07674902) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती पंकी देवी (फोलियो नं.: 27007) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती गीता देवी (डीआईएन 08565123) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अयोग्य होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं |

4.1 श्रीमती ममता देवी (फोलियो संख्या: 7889) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 04/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक गीता देवी (डीआईएन 08565123) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती मंजू बाई (फोलियो नं.: 29018) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

5.1 श्रीमती मंजू (फोलियो नंबर: 30233) ने साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 05/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"यह संकल्प लिया कि श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) जिन्हें 19.07.2022 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती रेखा कँवर (फोलियो संख्या: 34319) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

6.1 श्रीमती मंजू कुमारी (फोलियो नंबर: 29312) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 06/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती पूजा कुमारी (फोलियो संख्या: 30031) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

7.1 श्रीमती रेनु (फोलियो नं.: 44327) ने साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 07/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये) 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 13,00,00,000/- (तेरह करोड़ रुपये) 13,00,000 (तेरह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त तीन करोड़ रुपये जोकि 3,00,000 (तीन लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है |

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 13,00,00,000 रुपये है। (तेरह करोड़ रुपये) जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के इक्विटी शेयरो में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

श्रीमती सरिता (फोलियो नं.: 23964) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कंपनी के अंतर्नियमों के लेख में परिवर्तन पर विचार करना और अनुमोदन करना और विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को अपनाने के लिए।

8.1 श्रीमती सविता (फोलियो नं.: 42544) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 08/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प किया गया कि अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, इसके तहत बनाए गए नियमों सहित, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियमों को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन होगी। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई दिनांक, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्यता के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता से हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्या को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा।

हालांकि, सदस्याओं को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्याओं के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

आगे संकल्प किया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमती सरोज कुमारी (फोलियो नं.: 39528) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना।

9.1 श्रीमती गायत्री देवी (फोलियो नं.: 42495) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 09/7TH AGM:30.08.2022/2021-22

"संकल्प किया गया कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार और दिनांक 14 जून, 2016 को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प संख्या 08/1st AGM/14.06.2016/2016-17 के स्थान पर, व्यापार में सदस्याओं की भागीदारी (यानी संरक्षण) के आधार पर सदस्याओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क्रम स.	मानदंड	श्रेणी - A	श्रेणी - B	श्रेणी - C
1	एक वर्ष में कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>=330 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	कंपनी को आपूर्ति किये जाने वाले दूध की मात्रा (लीटर में)	>=10000	>=4000	>=500
3	एक वित्तीय वर्ष के दौरान लीन महीनो अर्थात अप्रैल से जुलाई के दौरान आपूर्ति की गयी दूध की मात्रा की तुलना में फ्लश महीनो अर्थात नवम्बर से फरवरी के दौरान आपूर्ति की गयी दूध की मात्रा	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4	सबस्क्राइब किये गए शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गयी शेयर पूँजी की राशी)	100 शेयर (रु . 10000/-)	40 शेयर (रु . 4000/-)	5 शेयर (रु . 500/-)

नोट:-

अ वास्तविक शेयर अंशदान या आपूर्ति की गयी वास्तविक दूध की मात्रा (जो भी कम हो को वर्ग के वर्गीकरण पर पहुँचने के उद्देश्य से माना जायेगा |

बी संरक्षण की गणना के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जायेगा |

i. सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भर्ती हुए हैं और अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किये हैं लेकिन वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूँजी की सदस्यता ली है तो उसे उस वर्ग से सम्बंधित माना जायेगा |

ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग ए या वर्ग बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, वह उपयुक्त निम्न वर्ग में जा सकता है जिसके लिए सदस्य मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'वर्ग सी' बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जायेगा हालाँकि अगर बोर्ड उन्हें अपनी सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है तो ऐसे सदस्यों को बिना किसी वर्ग के सदस्य माना जायेगा |

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है।

श्रीमती विजयलता (फोलियो नं.: 32093) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्षा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक शुरू होने का समय: दोपहर 01.15 बजे

बैठक के समापन का समय: दोपहर 2.05 बजे

बैठक का कार्यवृत्त: 13.09.2022 को दर्ज किया गया

दिनांक: 20.09.2022

अध्यक्षा

आयगत बजट

क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2023-24
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	216,079
(II)	दूध परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	51,343.98
(III)	खरीद मूल्य	(लाख रुपये में)	46,873.21
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	862.95
(V)	लोजिस्टिक लागत	(लाख रुपये में)	1,811.86
(VI)	एनी दूध परिचालन लागत	(लाख रुपये में)	967.08
(VII)	विक्रय एवं विपणन खर्च	(लाख रुपये में)	211.70
(VIII)	स्थायी लागत	(लाख रुपये में)	598.42
(IX)	दूध परिचालन से लाभ / हानि	(लाख रुपये में)	18.75
(X)	अनुदान सहायता- दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	99.00
(XI)	अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ हानि	(लाख रुपये में)	117.75
(XII)	पीईएस क्रियाओं के लिए आयगत खर्च	(लाख रुपये में)	426.79
(XIII)	पीईएस परिचालन से घाटा	(लाख रुपये में)	(426.79)
(XIV)	पीईएस क्रियाओं के लिए अनुदान सहायता	(लाख रुपये में)	279.77
(XV)	पीईएस परिचालन से लाभ हानि	(लाख रुपये में)	(147.01)
(XVI)	खुदरा विपणन से आय	(लाख रुपये में)	(136.27)
(XVII)	खुदरा विपणन के लिए धानी से अनुदान सहायता	(लाख रुपये में)	105.89
(XVIII)	अन्य आय	(लाख रुपये में)	160.98
(XIX)	कर पूर्व लाभ हानि	(लाख रुपये में)	101.35

पूजीगत बजट

क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2023-24
अ	दूध परिचालन		
(I)	एमपीपी सेटअप लागत	(लाख रुपये में)	55.13
(II)	केन्स	(लाख रुपये में)	119.07
(III)	एचओ सेटअप लागत	(लाख रुपये में)	5.00
(IV)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	61.32
(V)	डीपीएमसीयु	(लाख रुपये में)	759.62
(VI)	बीएमसी एसेसीरिज	(लाख रुपये में)	13.86
(VII)	एएमसीयु	(लाख रुपये में)	11.58
(VIII)	मार्केटिंग प्लान सेटअप	(लाख रुपये में)	76.38
(IX)	केपेक्स- दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	1,101.95
(X)	अनुदान सहायक से केपेक्स-दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	618.75
(XI)	केपेक्स स्वयं के फंड से	(लाख रुपये में)	483.20
I	कुल केपेक्स	(लाख रुपये में)	1,101.95
II	कुल केपेक्स अनुदान	(लाख रुपये में)	618.75
III	केपेक्स स्वयं के फंड से	(लाख रुपये में)	483.20

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या 8 बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

फार्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल आईडी	
फोलियो संख्या	
सदस्या कोड	

मैंसखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
के अंशो की सदस्या होते हुए एतदद्वारा

1. श्रीमती फोलियो
पता ई मेल आईडी.....
हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में
फोलियो
2. श्रीमती
पता ई मेल आईडी.....
हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में
3. श्रीमती फोलियो
पता ई मेल आईडी.....
हस्ताक्षर.....

को कंपनी की बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर 2023 को दोपहर 01:15 बजे द्वारका दास द्रौपदी देवी मेमोरियल ऑडिटोरियम, 373, बसंत विहार, अलवर, राजस्थान अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली आठवी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना			
3	श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना जो कि श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी (डीआईएन 08961620) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।			
4	श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना जो कि श्रीमती सुनीता देवी (डीआईएन 08661962) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।			
5	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना			

दिनांक2023 को हस्ताक्षर किये गए |

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है |


रूपये एक का
रेवेन्यू टिकट
लगाये

वर्ष के दौरान सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक सदस्या



सरिता जांगिड़

दूध की मात्रा = 154970 Kg
दूध का मूल्य = ₹ 5861827



सुभीता

दूध की मात्रा = 143280 Kg
दूध का मूल्य = ₹ 5470256



सुनीता


दूध की मात्रा = 116099 Kg
दूध का मूल्य = ₹ 4392276

वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल

द्वारका दास द्रौपदी देवी मेमोरियल ऑडिटोरियम

373, वसंत विहार, अलवर



1. आम सभा स्थल पंजीकृत कार्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर।
2. आम सभा स्थल रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर।
3. आम सभा स्थल बस स्टेण्ड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।



Sakhi Mahila Milk Producer
Company Limited



Welcomes you to the Launch
Sakhi Cow Ghee



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सी.आई.एन. : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय :

8-बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.) - 301002

Email: info@sakhimilk.com | Phone No. 0144-233-0332

www.sakhimilk.com